

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष - 2015



छत्तीसगढ़ राज्य
विद्युत नियामक आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2015

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015

विषय—सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	: 1—3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	: 4—7
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	: 8—11
4.	राज्य सलाहकार समिति	: 12—12
5.	वर्ष 2015 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	: 13—18
	परिशिष्ट—1	: 19—19
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	: 20—20

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2014—15 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	: 21—39
--	---------

खण्ड—1 प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन-साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा-निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा-सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप-विद्युत, जल-विद्युत, विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति न्यूनतम दरों पर सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये, विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2015 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2015) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रतिवेदन में उल्लेखित है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 उपबंधित किया गया है कि राज्य का आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्रारूप तथा ऐसे समय जो विहित किया जावे, पिछले वर्ष की अपनी गतिविधियों के सारांश के साथ, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर उसकी प्रतियां राज्य शासन को अग्रेषित करेगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन एवं संपरीक्षित वार्षिक लेखा राज्य शासन द्वारा विधान-सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में, आयोग के वर्ष 2015 के क्रिया कलापो का संक्षिप्त विवरण, वर्ष 2014-15 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन को समाहित किया गया है।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमांक 3190/S/E/2002/ दिनांक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमांक 432/R/352 दिनांक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7/2007/13/1, रायपुर, दिनांक 11/07/2013 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री नारायण सिंह की नियुक्ति की गई एवं राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1 दिनांक 11/01/2012 द्वारा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्तमान में श्री नारायण सिंह अध्यक्ष एवं श्री विनोद श्रीवास्तव सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:—

श्री नारायण सिंह (अध्यक्ष)

श्री नारायण सिंह ने 15 जुलाई, 2013 को आयोग में अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह ने बी.ए. (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की। आयोग के अध्यक्ष चुने जाने के पूर्व श्री सिंह छ.ग. राज्य प्रशासनिक अकादमी में महानिदेशक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1977 बैच के म.प्र. कैडर के अधिकारी, श्री नारायण सिंह को मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण कार्यभार प्रदान किये गए। अपने 36 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में आपने मध्यप्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ शासन में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। साथ ही कलेक्टर तथा आयुक्त के पद पर रहते हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। आपने वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर सफलतापूर्वक कार्य का निर्वहन किया है। आपको ऊर्जा क्षेत्रों के वित्तीय, प्रशासनिक तथा क्रियात्मक पहलुओं की गहन समझ तथा पैनी पकड़ है।

श्री विनोद श्रीवास्तव (सदस्य)

श्री विनोद श्रीवास्तव ने शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, जबलपुर से वर्ष 1973 में सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अमरकंटक ताप विद्युत गृह से अपनी सेवायें प्रारंभ की। विभिन्न पदों पर जबलपुर (मुख्यालय), जगदलपुर, टोंस जल विद्युत परियोजना, भोपाल, विसिंगपुर ताप विद्युत परियोजना, कोरबा ताप विद्युत गृह में सेवायें प्रदान करने के पश्चात् वर्ष 2002 में आपको मुख्य अभियंता सिविल परियोजना एवं वर्ष 2007 में सचिव विद्युत मण्डल का दायित्व प्रदान किया गया। विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के पश्चात् जनवरी 2009 में आपको राज्य शासन द्वारा प्रबंध निदेशक, छ.ग.पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी का दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2010 तक आपने छ.ग. पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं मार्च 2011 से अक्टूबर 2011 तक छ.ग. विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी वहन किया। आप जनवरी 2012 से आयोग में सदस्य के पद पर कार्यरत हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग का कार्यालय न्यू शांति नगर, रायपुर में स्थित है। कार्यालय के भवन निर्माण का कार्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा किया गया है। आयोग के भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म) के सिद्धांत को अपनाया गया है। भवन में क्रेडा के माध्यम से 80 किलोवॉट क्षमता के सौर-ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु उपयोग में लाई जाती है तथा अतिशेष विद्युत ग्रिड में डाली जाती है।

आयोग कार्यालय भवन जो ऊर्जा दक्ष एवं सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित है को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से पांच सितारा रेटेड भवन घोषित किया है। यह भवन राज्य का ऐसा प्रथम भवन है जिसे बी.ई.ई. द्वारा पांच सितारा रेटिंग दी गई है।

यह भवन 2400 वर्ग मीटर प्लॉट पर निर्मित है, इसमें 03 तल हैं, कुल निर्मित क्षेत्रफल 2072 वर्ग मीटर है।

—————00000—————

खण्ड-2 मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :-

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। वर्तमान में आयोग हेतु कुल 68 पद स्वीकृत हैं जिसमें 15 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी, 33 तृतीय श्रेणी एवं 12 चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। स्वीकृत पद संरचना परिशिष्ट क्र 1 में उल्लेखित है।

2.2 आयोग में वर्ष 2015 में सेवारत अधिकारी :-

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2015 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :-

क्रमांक	नाम	वर्तमान पद	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री पी.एन. सिंह	सचिव	06.03.2012
2.	श्री एस.पी. शुक्ला	निदेशक (इंजीनियरिंग)	01.10.2014
3.	श्री विवेक गनोदवाले	वरिष्ठ विधि अधिकारी	29.06.2013
4.	श्री सुरोबिन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	11.08.2010
6.	श्री कमलेश दिल्लीवार	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	11.08.2010
7.	श्रीमती आशा व्ही. देव	उप-सचिव	23.06.2014 प्रतिनियुक्ति पर

आयोग के अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:-

1. **श्री पी.एन. सिंह, सचिव:-** जबलपुर विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री सिंह द्वारा 1977 से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने 1981 में उच्च दाब वैद्युतिकी में मास्टर्स उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1986 में आपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया। विशद तकनीकी ज्ञान एवं गहन अनुभव के साथ आपने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर योजना-कार्य, संचालन एवं संधारण और अति उच्चदाब एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को नई दिशाएं दी। विद्युत व्यवस्था के क्षेत्र में नीतिगत विशेषज्ञता, अपने प्रबल प्रस्तुतीकरण एवं कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण आपको राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2010 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण क. मर्या. से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् दिनांक 06/03/2012 से आयोग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

2. **श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग) :-** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों के कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप-विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात क्रमशः दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) एवं दिनांक 01/10/2014 को निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए।
3. **श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी :-** बी. कॉम, एल.एल.बी., की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् आप मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित अधिवक्ताओं के पैनल व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पैनल में भी रह चुके हैं। आप वर्ष 1997 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय हेतु मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन हेतु विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किये गये। छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2004 में आपको इसी विशेष न्यायालय हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। आयोग में पद भार ग्रहण करने के पूर्व तक आप विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत् रहे। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 27/06/2013 को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए।
4. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक—** बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए., लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखांकन, बजट, लेखा-संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव है। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06/10/2009 से कार्यरत् हैं।
5. **श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (टैरिफ):-** शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आपने लगभग 1 वर्ष आटोमोबाईल उद्योग तथा लगभग 12 वर्ष तक जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (टैरिफ) के पद पर कार्यरत् हैं। दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर पदोन्नत हुए।
6. **श्री कमलेश दिल्लीवार, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग):-** 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पॉवर प्लांट एवं कंसलटेंसी संस्थाओं में लगभग 3 वर्ष कार्य करने के बाद सन् 2000 में ऊर्जा प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त की। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कंसलटेंसी संगठनों में रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी (मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में भी) अपनी सेवाएं दी। पिछले दस वर्षों में उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में

सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विभिन्न विद्युत मण्डलों, कंपनियों एवं विभिन्न राज्यों के नियामक आयोगों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, आदि में कंसलटेंसी प्रदान की। श्री दिल्लीवार ने BEE (MoP) से ऊर्जा संपरीक्षक का प्रमाण पत्र भी 2004 में प्राप्त किया है। दिनांक 11/08/2010 से आयोग में उप निदेशक (इंजी.) के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 11/08/2015 को संयुक्त निदेशक (इंजी.) के पद पर पदोन्नत हुए।

7. **श्रीमति आशा व्ही. देव, उप सचिव:-** केरला युनिवर्सिटी से बी.टेक (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमती आशा द्वारा वर्ष 1998 में केरला स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (केएसईबी.) में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। इस दौरान आपने केरला लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय एक्ट, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट एंड रूल्स, स्टोर एकाउंट्स व टैरिफ एंड रेवेन्यू एकाउंटिंग रूल्स, केरला फाईनैसियल कोड एवं केरला बजट मैनुअल एवं पी.डब्ल्यू. एकाउंट कोड की विभिन्न परिक्षाएं उत्तीर्ण की साथ ही आपको विद्युत उपयोगिता पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2006 में छ.ग.रा.वि.वि.कं.मर्या. रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता एवं वर्ष 2010 में कार्यपालन अभियंता रहीं। जून 2012 में पुनः केएसईबी. में सहायक कार्यपालन अभियंता के पद पर सेवाएं दी। वर्तमान में आप प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यक्रम:-

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2015 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा गया, जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम – आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1	श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग)	14वां कोर कोर्स ऑन "इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशन एण्ड रिफॉर्म"	साउथ एशिया फोरम ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशन (SAFIR) नई दिल्ली द्वारा बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बांग्लादेश में आयोजित।	3 दिन (27 से 29 जनवरी 2015)
2	श्री कमलेश दिल्लीवार,, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	7वां केपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स द्वारा आई. आई.टी. कानपुर में आयोजित	3 दिन (28 से 30 जनवरी 2015)
3	श्री सुरोबिन रॉय, वित्तीय विश्लेषक	56वां नेशनल कास्ट कन्वेन्शन 2015 – नेशन बिल्डिंग थ्रू कास्ट कम्पीटीवनेन्स एण्ड रिस्पांसिबल गवर्नेंस	काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित	2 दिन (31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2015)

4	श्री पी. वेणु गोपाल, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	56वां नेशनल कास्ट कन्वेन्शन 2015 – नेशन बिल्डिंग थ्रू कास्ट कम्पीटीवनेन्स एण्ड रिस्पांसिबल गवर्नेंस	काउंसिल ऑफ द इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित	2 दिन (31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2015)
5	श्री कमलेश दिल्लीवार,, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	8वां केपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स द्वारा सिंगापुर में आयोजित	3 दिन (18 से 20 फरवरी 2015)
6	श्री पी.एन. सिंह, सचिव	वर्कशॉप ऑन किटीकल रोल ऑफ सेक्रेटरी इन रेग्युलेटरी कमीशन	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित	1 दिन (23 फरवरी 2015)
7	श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 “ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स” प्रशिक्षण कार्यक्रम	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में आयोजित	3 दिन (18 मार्च से 20 मार्च 2015)
8	श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	रेग्युलेटींग इलेक्ट्रीसिटी टैरिफ एंड रिलेटेड इससू ट्रेनिंग प्रोग्राम	एडमिनीस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इण्डिया द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित	5 दिन (29 जून से 03 जुलाई 2015)
9	श्री कमलेश दिल्लीवार,, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	रेग्युलेटींग इलेक्ट्रीसिटी टैरिफ एंड रिलेटेड इससू ट्रेनिंग प्रोग्राम	एडमिनीस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इण्डिया द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित	5 दिन (29 जून से 03 जुलाई 2015)
10	श्री कमलेश दिल्लीवार,, संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	केपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आर.ई.सी. मेकानिज्म	केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिल्ली में आयोजित	1 दिन (23 जुलाई 2015)
11	श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी	15 वां कोर कोर्स ऑन “इन्फ्रास्ट्रक्चर रेग्युलेशन एण्ड रिफॉर्म”	एडमिनीस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इण्डिया द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित द्वारा	3 दिन (16 से 18 नवंबर 2015)
12	श्री सुरोबिन रॉय, वित्तीय विश्लेषक	9वां केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम/ ट्रेनिंग प्रोग्राम,	फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स द्वारा आई. आई.टी. कानपुर एवं सिंगापुर में आयोजित	6 दिन (21 से 26 नवंबर 2015)
13	श्री एस.पी. शुक्ला, निदेशक (इंजीनियरिंग)	ओपन एक्सेस पॉवर ट्रेडिंग एण्ड एबीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित	4 दिन (30 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2015)

खण्ड-3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

- 3.1 आयोग के कृत्य** – (1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :—
- (i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।
 - (ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।
 - (iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।
 - (iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।
 - (v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।
 - (vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थ के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।
 - (vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।
 - (viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।
 - (ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना।
 - (x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना।
 - (xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।
- (2) उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 86(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:—
- (i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;
 - (ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;
 - (iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है ।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है ।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का भी अधिकार है। इस हेतु वर्तमान में “कार्य संचालन विनियम 2009” प्रभावी है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:—

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क अनुज्ञप्तिधारी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना-पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय-सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनांक व समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत निराकरण करेगा ।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।
- आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थ को निर्दिष्ट कर सकेगा ।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत उनके विरुद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम-काज की जाँच करा सकता है ।

- यदि आयोग के किसी नियम-कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार की शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।
- इसके साथ प्रतिवादी निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है, जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

- (1) विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः—
 - (i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;
 - (ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;
 - (iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;
 - (iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।
 - (v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;
 - (vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;
 - (vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ हैं।
- (3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धारा 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

—————00000—————

खण्ड-4 राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी:—

- (1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;
- (2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;
- (3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;
- (4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं
- (5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का प्रथम गठन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में राज्य सलाहकार समिति में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठनों और विद्युत सेक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 18 सदस्य नामित हैं।

आयोग के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष, आयोग के सदस्य एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :—

वर्ष 2015 में इस समिति की तीन बैठकें संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2015-16 के लिए राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर, उच्चदाब लाईनो के रखरखाव, किए जा रहे सुधार कार्यों, बिना किसी पूर्व सूचना के हो रही विद्युत कटौती, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में कार्यरत ठेकेदारों के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को, ठेकेदार द्वारा सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के प्रारूप पर भी यथासमय समिति सदस्यों के विचार प्राप्त किए गए।

—000—

खण्ड-5
वर्ष 2015 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौंपे गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनाने के पूर्व प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है एवं सुझाव व आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। समस्त सुझावों, आपत्तियों पर सारगर्भित विचारोपरांत आयोग द्वारा विनियम जारी किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004 से 2014 तक निरंतर विनियम तैयार किए गए। यह प्रक्रिया वर्ष 2015 में भी अनवरत जारी रही। दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में प्रचलित विनियमों की सूची निम्नानुसार है :-

(I) वर्ष 2015 के पूर्व अधिसूचित विनियम:-

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004	07.12.2004
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	07.05.2008
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	18.10.2004
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004	31.05.2005
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें एवं निबन्धन) विनियम, 2006	01.03.2006
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम-2005	14.07.2006
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006	14.07.2006

8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006	05.01.2007
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय-वस्तु) विनियम, 2008	22.05.2008
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009	15.07.2009
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009	20.07.2009
12.	सी.एस.ई.आर.सी. (टर्म्स एण्ड कंडिशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ एकाईजिंग टू मल्टी-ईयर टैरिफ प्रिंसिपल) रेग्युलेशन, 2010	09.01.2010
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2010	26.10.2010
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011	04.03.2011
15.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन-विनियम, 2012	17.12.2012
16.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011	04.03.2011
17.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013	21.05.2013
18.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम 2011	01.06.2011
19.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011	04.03.2011
20.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	28.11.2011
21.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2011	30.12.2011
22.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012.	27.06.2012

23.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012।	06.10.2012
24.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम 2012	29.12.2012
25.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम 2013	15.02.2013
26.	छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013.	14.03.2013
27.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2013	18.09.2013
28.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम, 2013	07.10.2013
29.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन-प्रथम संशोधन) विनियम 2013	10.01.2014
30.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	01.01.2014

(II) वर्ष 2015 में अधिसूचित विनियम:-

क्र.	विनियम/संहिता का नाम	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 ये विनियम, अधिनियम की धारा-62 के अधीन टैरिफ एवं धारा 32(3) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 से वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक की अवधि में लागू रहेंगे और आगे भी, तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को संशोधित अथवा नये विनियमों द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता।	09.09.2015

5.2 वर्ष 2015 में आयोग द्वारा जारी किये महत्वपूर्ण आदेश

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लेखों का अंतिम सत्यापन एवं वर्ष 2015-16 के लिए टैरिफ निर्धारण किया गया।
- 2 बहुवर्षीय टैरिफ हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के तीन वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु, मेसर्स जिंदल पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरण हेतु उनके पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2014-15 के लिए टैरिफ का अवधारण किया गया था। जिस पर मेसर्स जिंदल पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा पुनरीक्षित याचिका दायर की गयी। इस पर भी आदेश जारी किया गया।
- 3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत की कुल मांग तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधिक अनुबंधों के अतिरिक्त अल्पावधिक आधार पर विद्युत अर्जित करने की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हेतु विगत वर्षों में आयोग ने अल्पावधिक विद्युत क्रय हेतु उच्चतम सीलिंग दर तथा निबंधन एवं शर्तों को विनिर्देश किया है। इसी कड़ी में वर्ष 2015 में आयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अल्पावधिक आधार पर विद्युत के क्रय हेतु निबंधन, शर्तें एवं दरों का निर्धारण स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 14/2015 (ड) में दिनांक 14.07.2015 को आदेश पारित कर किया है। साथ ही आयोग ने विद्युत क्रय अनुबंध के मानक प्रारूप का अनुमोदन स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 15/2015 में आदेश दिनांक 19.08.2015 द्वारा करते हुए वर्ष 2015-16 तथा उसके अनुवर्ती वर्षों हेतु अल्पावधिक विद्युत क्रय का विनियमन किया है।

5.3 वर्ष 2015-16 हेतु छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए जारी विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदु:-

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए औसत लागत दर रुपये 5.79 प्रति यूनिट की मांग की गई थी। आयोग ने गहन परीक्षण कर रुपये 5.34 की औसत विद्युत लागत दर ही मान्य की है। राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी राजस्व अंतर में संतुलन हेतु दिए गए 450 करोड़ के अनुदान को समाहित करने के उपरांत रुपये 5.10 की औसत विद्युत लागत दर के आधार पर विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा दिए गए अनुदान को समायोजित करने के पश्चात् वर्ष 2015-16 हेतु 1192 करोड़ रुपये के घाटे का आंकलन किया गया। इस 14.3% राजस्व घाटे की भरपाई हेतु टैरिफ में वृद्धि की गई है।
- वर्ष 2015-16 हेतु आंकलित औसत लागत दर रुपये 5.10 प्रति यूनिट है, जो कि वर्तमान औसत विद्युत लागत दर रुपये 4.47 प्रति यूनिट से 14.3% अधिक है।

- गत वर्ष कृषि उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित औसत विद्युत दर, औसत विद्युत लागत दर का लगभग 58% ही थी, इसे टैरिफ पॉलीसी में निहित प्रावधान के परिपालन में बढ़ाते हुए 67% किया गया है।
- गत वर्ष घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित औसत विद्युत दर औसत विद्युत प्रदाय लागत का लगभग 68% ही थी, इसे टैरिफ पॉलीसी में निहित प्रावधान के परिपालन में बढ़ाते हुए 80% किया गया है।
- घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु गत वर्ष की तरह टेलिस्कोपिक दरें लागू रखी गई हैं।
- उच्चदाब उपभोक्ताओं पर Kwh बिलिंग के स्थान पर kVAh बिलिंग लागू की गई है।
- विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर किराया लेने का आवेदन दिया था, जिसे आयोग ने मान्य नहीं किया।
- 50 HP से अधिक गैर घरेलू एवं निम्न दाब इण्डस्ट्री से 30% पीक ऑवर चार्जस को समाप्त कर दिया गया है।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें औसत विद्युत लागत दर पर विद्युत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के राजस्व घाटे को कम करने हेतु दिए गए 450 करोड़ के अनुदान के कारण ही राजस्व घाटा 19.6% से घटकर 14.3% हो गया है।

5.4 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष आयोग ने स्वयं संज्ञान लेकर 45 मामले पंजीबद्ध किये हैं तथा विभिन्न पक्षकारों ने विभिन्न मामलों के 57 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये। इस तरह वर्ष 2015 के दौरान आयोग ने कुल 102 मामले पंजीबद्ध किये, जिसमें से 30 का निपटारा आयोग द्वारा वर्ष 2015 में किया गया। परन्तु, 01.01.2015 के प्रारंभ में पूर्व वर्षों से 67 प्रकरण लंबित थे। जिसमें से 54 प्रकरणों का निराकरण वर्ष 2015 में किया गया। इस तरह वर्ष 2015 में 84 प्रकरणों का निराकरण किया गया। यह नीचे दिए गए सारणी में दर्शित है:-

याचिकाओं का निराकरण			
01-01-2015 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2015 में पंजीकृत	वर्ष 2015 में निराकृत	01-01-2016 की स्थिति में विचाराधीन
67	102	84	85

5.5 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना:—

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य में, रायपुर एवं बिलासपुर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित है, वर्ष 2015 में उपभोक्ता शिकायतों के 153 प्रकरण बिलासपुर फोरम एवं 70 प्रकरण रायपुर फोरम में दर्ज किये गये तथा 160 प्रकरण बिलासपुर एवं 80 प्रकरण रायपुर फोरम में निराकृत किये गये जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परंतु इस वर्ष विचाराधीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भिलाई एवं जिंदल औद्योगिक पार्क में कार्यरत वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा एक-एक शिकायत निवारण फोरम स्थापित किया गया है।

इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 42 (6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेश से संतुष्ट न होने पर विद्युत उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वर्ष विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या 15 रही। वर्ष 2015 में कुल 14 प्रकरणों का निराकरण विद्युत लोकपाल द्वारा किया गया जिसमें पूर्व में पंजीबद्ध परंतु इस वर्ष विचाराधीन 01 प्रकरण सम्मिलित है। दिनांक 01/01/2016 की स्थिति 02 प्रकरण विचाराधीन है।

5.6 विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयास:—

विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदाय करने हेतु आयोग द्वारा मानक विनियम तैयार किए गये हैं। जिनमें, निर्धारित समयावधि में सेवा में कमी पाये जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान रखा गया है। तत्संबंध में एक विज्ञापन राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार कराया गया है जिसमें विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालयों जैसे वितरण केंद्र, उपसंभाग, संभाग वृत्त कार्यालय आदि पर लगाया गया है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों, कार्य के मानकों/विनियमों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु जानकारियां समय-समय पर प्रकाशित कराई जाती हैं, जिससे कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों को बेहिक विद्युत उपभोक्ता फोरम, विद्युत लोकपाल व आयोग के समक्ष रख रहे हैं।

परिशिष्ट-1

स.क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड-पे
	आयोग सचिवालय			
1.	सचिव	1	37400—67000	10000
2.	उप सचिव	1	15600—39100	7600
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	15600—39100	6600
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	15600—39100	5400
5.	अनुभाग अधिकारी	1	9300—34800	4400
	तकनीकी विभाग			
6.	निदेशक	1	37400—67000	10000
7.	संयुक्त निदेशक	1	15600—39100	7600
8.	उप निदेशक	2	15600—39100	6600
9.	सहायक संचालक	2	15600—39100	5400
	टैरिफ विभाग			
10.	निदेशक	1	37400—67000	10000
11.	संयुक्त निदेशक	1	15600—39100	7600
12.	उप निदेशक	1	15600—39100	6600
13.	सहायक संचालक	1	15600—39100	5400
	वित्त विभाग			
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	37400—67000	8700
15.	वित्तीय विश्लेषक	1	15600—39100	7600
	विधि विभाग			
16.	निदेशक	1	37400—67000	10000
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	15600—39100	7600
18.	विधि अधिकारी	1	15600—39100	6600
	प्रशासकीय विभाग			
19.	सहायक संचालक (लेखा)	1	15600—39100	5400
20.	निज सचिव	2	9300—34800	4400
21.	निज सहायक	6	9300—34800	4300
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	9300—34800	4300
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	9300—34800	4200
24.	स्टेनोग्राफर	5	5200—20200	2800
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	5200—20200	2400
26.	सहायक ग्रेड-2	4	5200—20200	2400
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	5200—20200	1900
28.	सहायक ग्रेड-3	5	5200—20200	1900
29.	वाहन चालक	4	5200—20200	1900
30.	भृत्य	11	4440—7440	1300
31.	माली	1	4440—7440	1300
	योग	68		

खण्ड-6

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-15

6.1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक-18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा(ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम प्रकाशित हो चुका है, के द्वारा संचालित होते हैं। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2016-17 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2014-15 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनांक 31.03.14 को विगत वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रु. 44324125.49 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2014-15 की रोकड़ बही दिनांक 01.04.2014 को प्रारंभ की गई। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ रु. 36004275.09 शेष था। वर्ष 2014-15 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं महालेखाकार छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

परिशिष्ट



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh,
Raipur.

दिनांक

Date: 12/01/2016

To

The Chairman,
Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission,
Irrigation Colony, Shanti Nagar,
Raipur 492001

Sub: Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2015.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2014-15 under Sub Section (2) of Section 104 of the Electricity Act 2003. Six copies of printed annual accounts incorporating the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office after placing the same before the State Legislature.

Yours faithfully,

Encl.: As above.


Dy. Accountant General
(ES&RS)

पोस्ट - मांडर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)

Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

फोन / Phone : 2582082 • फैक्स / Fax : 2582505 • ई-मेल / Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2015

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for 31 March 2015 and the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended on that date under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These Financial Statements include the accounts of Units/Branches of the Commission. These Financial Statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in format approved by the Chhattisgarh State Government under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Commission as required under Section 104(1) of the Electricity Act, 2003 in so far as it appears from our examination of such books.

Comments on Accounts

Income and Expenditure Account

Expenditure

Administrative & Other Office expenses

Other Administrative & Office expenses ₹ 93.39 lakh

1. The Commission had made payment of ₹ 2.65 lakh being 15 *per cent* of value of work order of ₹ 17.70 lakh for the part work done by the consultant and provision has been made in the Accounts for balance amount of ₹ 15.04 lakh. As the consultant had not completed their work and not achieved the milestones, so the provisions is not required. This has resulted in overstatement of Consultancy fees payable under "Other Administrative & Office expenses" as well as "Sundry Creditors & Other Liabilities" and understatement of "Excess of Income over Expenditure" by ₹ 15.04 lakh.

Income and Expenditure Account

Expenditure

C. Depreciation - ₹ 3.73 lakh

2. Depreciation rates have been revised as per Schedule II of the new Companies Act, 2013. However, the Commission charged depreciation at old rates. As a result, current year depreciation was charged at ₹ 29.63 lakh instead of at ₹ 28.62 lakh. This has resulted in overstatement of depreciation and understatement of excess of income over expenditure by ₹ 1.01 lakh.

**For and on behalf of the Comptroller
& Auditor General of India**

Place: Raipur

Date: 12-01-2016



Accountant General (Audit)

प्ररूप-क
(देखिये नियम 6)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2014 से 31.03.2015)

गत वर्ष (रु.)	प्राप्तियाँ	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)	गत वर्ष (रु.)	भुगतान	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)
14109.00 33841888.74 0.00	1. प्रारंभिक शेष (i) हस्तस्थ रोकड़ (ii) बैंक में रोकड़	12676.00 44311449.49	44324125.49	15863599.00 0.00 435096.00	1. स्थापना व्यय (i) वेतन एवं भत्ते (ii) मजदूरी (iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव) (iv) मृत्यु सह सूवानिवृत्ति उपादान (v) अवकाश वेतन का भुगतान (vi) यात्रा व्यय (अ) देशीय यात्रा (ब) विदेश यात्रा (स) अवकाश यात्रा रियायत (vii) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति) (viii) अतिरिक्त समय भत्ता (ix) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (x) अधिलामांश (xi) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय) (xii) अंशदायी पेंशन योजना का अंतिम भुगतान	18817768.00 0.00 662629.00 466742.00 0.00 900433.00 34983.00 0.00 12000.00 0.00 141449.00 0.00 863122.00 0.00	21899126.00
25000000.00 4550165.00 138795.00 0.00 39649462.00 3324758.60 220.00 461000.00 56448.00 2384379.50 886450.00 11200.00 26112.00 0.00 15400.00 7761.00 1678510.00 0.00 0.00 5200.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान 3. आयोग की प्राप्तियाँ (i) निवेश से प्राप्तियाँ (क) निवेश का नगदीकरण (ख) निवेश पर ब्याज (ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली (iii) अन्य प्राप्तियाँ (क) वर्तन (ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार (ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज (घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (ङ) विविध प्राप्तियाँ (i) बयाना राशि (ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त) (iii) प्रेषण प्राप्तियाँ (iv) नवीन अंशदायी पेंशन योजना (कर्मचारी का अंशदान) (v) निविदा प्रपत्र की बिक्री (vi) स्टाफ कार वसूली (vii) गृह किराया वसूली (viii) प्रकाशन का विक्रय (ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ (x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञापिधारी से प्राप्त (xi) पुराने सामाचार पत्रों के विक्रय से प्राप्त (xii) अप्रचलित संपत्तियों का विक्रय देय प्राप्तियाँ	0.00 65034319.00 13070693.00 106269.00 0.00 38506739.00 2656088.00 0.00 357500.00 76576.00 2986375.00 1007574.00 5800.00 30146.00 0.00 9000.00 1279.00 1034896.00 0.00 1000.00 4350.00	124888604.00	0.00 0.00 72000.00 10676.00 2000.00 36098995.49 8209209.00 3245.00 16800.00 9747.00 35000000.00 0.00	2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय (i) सभा एवं सम्मेलन व्यय (ii) दूरभाष एवं फॅक्स व्यय (iii) किराया दर एवं कर (iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय (v) वैधानिक व्यय (vi) जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम 3. पूंजीगत व्यय 4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान) 5. बयाना राशि की वापसी 6. प्रेषण भुगतान 7. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम) (i) यात्रा अग्रिम (ii) अनाज अग्रिम (iii) त्यौहार अग्रिम 8. अंतिम शेष (i) हस्तस्थ रोकड़ (ii) खुदरा रोकड़ (iii) बैंक में रोकड़ (iv) सी.एस.ई.आर.सी. एन.पी.एस. खाता (iv) छ.ग.रा.वि.नि.आ., रायपुर आयकर खाता 9. एन्टीवायरस साफ्टवेयर 10. अन्य साफ्टवेयर 10. बैंक स्थायी जमा पर निवेश 11. आयकर खाता	13315.00 339698.00 6483.00 10330889.40 14062.00 30030.00 183974.00 0.00 50400.00 11709.00 443.00 24764690.09 11031346.00 196087.00 350.00 0.00 95000000.00 0.00	10734477.40 1905309.00 56983.00 391500.00 2986335.00 234374.00 36004275.09
112051858.84	योग		169212729.49	112051858.84	योग		169212729.49

प्ररूप-3
(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2014 से 31.3.2015)

गत वर्ष (रु.)	व्यय	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)	गत वर्ष (रु.)	आय	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)
15933300.00	A. (1) स्थापना व्यय (सारणी-अ)	19559758.00	21841063.00	0.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	0.00	12016122.00
0.00	I वेतन एवं भत्ता	0.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	0.00	
886450.00	II मजदूरी	1007574.00			योग:	0.00	
594505.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	806989.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	0.00	
503414.00	IV सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	466742.00		11041701.00	शुद्ध योग:	0.00	
115515.00	V मुत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00		220.00	2. निवेश पर ब्याज		
468037.00	VI अवकाश नगदीकरण			3324758.00	3. अग्रिम पर ब्याज		
	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान			5534.00	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		
	3. यात्रा व्यय (सारणी-य)			39440925.00	5. सुरक्षा निधि पर ब्याज		
59633.00	i. विदेश यात्रा	34983.00		0.00	6. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		
469081.00	ii. देशीय यात्रा	1162680.00		0.00	7. विविध प्राप्ति		
0.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	0.00	1197663.00	0.00	(क) सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ	575.00	46800.00
7000.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		8000.00	0.00	(ख) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	0.00	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता		0.00	11200.00	(ग) निविदा प्रपत्र की बिक्री	5800.00	
384981.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		158911.00	26112.00	(घ) स्टॉफ कार वसूली	30146.00	
10000.00	7. अधिलाभांश		0.00	15400.00	(ङ) प्रकाशन का विक्रय	9000.00	
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय		0.00	7761.00	(ढ) अन्य विविध प्राप्ति	1279.00	
12410.00	9. वैधानिक व्यय		14062.00				
0.00	10. सम्पत्ति के विक्रय पर हानि		56006.00				
26744.00	11. जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम		30374.00				
0.00	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय						
283281.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	13315.00	9698483.40				
6483.00	(ii) दूरभाष एवं फैंक्स व्यय	339005.00					
11178701.85	(iii) किराया, दर एवं कर	6483.00					
26547.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	9339330.40					
346793.00	(v) एन्टिवायरस साटवेयर के लागत में कमी	350.00					
22560735.75	ग. अक्षयण		373215.00				
	ड़. आय का व्यय पर आधिक्य		19149473.60				
53873611.60	योग		53204362.00	53873611.00	योग		53204362.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

स्थान : रायपुर

दिनांक : 19.08.2015

सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

(सारणी-अ)
(देखिये नियम 5)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2015
(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रु.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	2786234.00	9228788.00	7544736.00	19559758.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	0.00	1007574.00	1007574.00
(IV)	सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00	0.00	806989.00	806989.00
(V)	मुत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	224036.00	242706.00	466742.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	2786234.00	9452824.00	9602005.00	21841063.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

(सारणी-य)
(देखिये नियम 5)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2015
(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रु.)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	253508.00	907672.00	1500.00	1162680.00
(II)	विदेश यात्रा	0.00	34983.00	0.00	34983.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	253508.00	942655.00	1500.00	1197663.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) रु.	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) रु.
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2014 को	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2015 को	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	634500.00	473650.00	318102.00	790048.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	250000.00	0.00	250000.00	0.00
3	बैंक शुल्क	3590.40	0.00	0.00	3590.40
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	45803.00	0.00	0.00	45803.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	41015.00	0.00	0.00	41015.00
6	सलाहकारिता शुल्क	2017213.00	3001316.00	1746130.00	3272399.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	251526.00	6554.00	29986.00	228094.00
8	अधिवक्ता शुल्क	1599895.00	0.00	346750.00	1253145.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	-88900.00	0.00	-95600.00	6700.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा)	147233.00	11789.00	14971.00	144051.00
11	भाड़ा (कार)	1178351.00	218437.00	70745.00	1326043.00
12	प्रशिक्षण व्यय	60674.00	0.00	0.00	60674.00
13	विद्युत रखरखाव	144766.00	22000.00	22000.00	144766.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	4296.00	0.00	0.00	4296.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	124360.00	8667.00	9300.00	123727.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	23211.00	0.00	0.00	23211.00
18	आयकर (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पोशाक/गणवेश व्यय	27944.00	0.00	0.00	27944.00
20	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	130288.00	7200.00	42719.00	94769.00
21	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	177799.00	10523.00	874.00	187448.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	300000.00	0.00	0.00	300000.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	250000.00	0.00	0.00	250000.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	238994.00	0.00	0.00	238994.00
25	विविध कार्यालय व्यय	183789.00	0.00	2850.00	180939.00
26	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	20736.00	1725.00	1881.00	20580.00
27	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई	368810.00	0.00	5329.00	363481.00
28	डाक एवं तार व्यय	38015.00	0.00	0.00	38015.00
29	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	167227.00	15959.00	0.00	183186.00
30	प्रकाशन व्यय	8795.00	0.00	0.00	8795.00
31	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय	94737.00	1175.00	5400.00	90512.00
32	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	12000.00	0.00	940.00	11060.00
33	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	124722.00	0.00	0.00	124722.00
34	चिकित्सा परामर्श शुल्क	9260.00	3120.00	3920.00	8460.00
35	चिकित्सा व्यय	40.00	0.00	0.00	40.00
36	कर्मचारी प्रोत्साहन व्यय	350000.00	0.00	0.00	350000.00
37	अनुवाद व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
38	भवन (सुधार एवं रखरखाव)	46551.00	0.00	15279.00	31272.00
39	आयोग संचालन व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
40	सभा व्यय	120877.00	0.00	0.00	120877.00
41	अन्य प्रशासनिक व्यय	223083.00	18879.00	17859.00	224103.00
42	जल व्यय	8130.00	0.00	0.00	8130.00
	योग	9339330.40	3800994.00	2809435.00	10330889.40

प्ररूप-4

(देखिये नियम 8)

तुलन पत्र 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(1.4.2014 से 31.3.2015)

गत वर्ष (रु.)	दायित्व	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)	गत वर्ष (रु.)	आस्तियाँ	राशि (रु.)	कुल राशि (रु.)
199455743.49	पूँजी निधि (सारणी-1) प्रारंभिक शेष जोड़िये: अवक्षयण राशि सहायता अनुदान (अधोसंरचना) में हस्तांतरित योग जोड़िये: आय का व्यय पर आधिक्य घटाइये: पूर्वगामी अवधि जोड़िये: एम.एन.आर.ई. से सहायता अनुदान घटाइये: अवक्षयण जोड़िये: छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना) घटाइये: अवक्षयण पूर्वगामी अवधि चालू वर्ष ऋण: चालू दायित्व एवं प्रावधान:	148061816.49 0.00 0.00 19149473.60 167211290.09 0.00 167211290.09 8552055.00 700000.00 44114075.00 -100079.00 1865580.00	7852055.00 42348574.00	53848095.00 0.00 127597117.00 -330388.00 65886.00 0.00 657632.00 0.00 12676.00 36102240.49 5349.00 3427.00	स्थायी आस्तियाः (सारणी-क) सकल योग घटाईये: अवक्षयण शुद्ध योग क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण) निवेश (सारणी-ख) (सारणी-ग) आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी-घ) निक्षेप (सारणी-ङ) भविष्य निधि (सारणी-च) विविध देनदार (सारणी-छ) अनुदान प्राप्य अंतिम शेष: हस्तस्थ रोकड (सारणी-ज) बैंक में रोकड (सारणी-झ) लेखाओं पर टिप्पणीयों (सारणी-र) जी.आई.एस. (पूर्वदत्त) मशीनरी, उपकरण एवं संगणक सुधार व्यय (पूर्वदत्त)	65998627.00 12013221.00 0.00 0.00 0.00 234374.00 65886.00 0.00 68307.00 0.00 12152.00 24960777.09 5005.00 0.00	53985406.00 0.00 157102996.00 234374.00 65886.00 0.00 68307.00 0.00 12152.00 24960777.09 5005.00 0.00
3221.00	प्रेषण (सारणी-2)		3261.00				
0.00	भविष्य निधि (सारणी-3)		0.00				
18503070.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी-4)		19019723.00				
0.00	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए) (सारणी-5)		0.00				
217962034.49	योग		236434903.09	217962034.49	योग		236434903.09

- टीपः
- राज्य शासन द्वारा सेवावधि के दौरान अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गई है, अतः इसका प्रावधान आयोग के खाता में नहीं किया गया है, परंतु आकस्मिक मृत्यु अथवा सेवानिवृत्त होने पर देय अर्जित अवकाश हेतु अनुमानित राशि के रूप में तात्कालीन वेतन बैंड का रु. 4363402/- और रु. 1326923/- क्रमशः परिशिष्ट-1 पर दर्शित है। आयोग के खाते में उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि का आकस्मिक दायित्व के रूप में तुलन-पत्रक में दर्शाया गया है एवं आकस्मिक स्वभाव को आयोग के खातों में नहीं दर्शाया गया है।
 - राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभाष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.50000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.25000/- आकलित किया गया है।
 - आयोग द्वारा नवीन कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है, तथापि नवीन पेंशन योजना के तहत अंशदान का लेखा 31.03.2015 तक कुल दायित्व रु.11031346/- को एच.डी.एफ.सी. बैंक में रखा गया है। चूंकि राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 56/2012 दिनांक 12.03.2012 को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य शासन से पत्र क्रमांक 496 दिनांक 12.03.2015 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था परन्तु राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण पी.एफ.आर.डी.ए. में दायित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सका।

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

स्थान : रायपुर

दिनांक : 19.08.2015

सारणी-1

(देखिये फार्म IV)

पूँजी निधी 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(i)	भूमि	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
(ii)	कार्यालय भवन	37551437.00	0.00	37551437.00	653646.00	36897791.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	1078579.00	202619.00	1281198.00	119450.00	1161748.00
(iv)	वातानुकूलित	215347.00	185519.00	400866.00	114077.00	286789.00
(v)	गणक यंत्र	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
(vi)	आंकड़ा संसाधन यंत्र	667156.00	218534.00	885690.00	142694.00	742996.00
(vii)	विद्युत उपकरण	1228727.00	0.00	1228727.00	359405.00	869322.00
(viii)	अग्नि शमन उपकरण	68579.00	0.00	68579.00	16222.00	52357.00
(ix)	यंत्र एवं उपकरण	171641.00	42875.00	214516.00	38082.00	176434.00
(x)	भू-सज्जा एवं उद्यान	318271.00	0.00	318271.00	5466.00	312805.00
(xi)	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	0.00	306321.00	306321.00	48378.00	257943.00
(xii)	सौर ऊर्जा संयंत्र	12420959.00	1031549.00	13452508.00	1238246.00	12214262.00
(xiii)	मोटर गाड़ी	0.00	1116000.00	1116000.00	103050.00	1012950.00
(xiv)	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvi)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
(xvii)	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xviii)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)			44114075.00		42348574.00
(xviii)		44114075.00	0.00		1765501.00	
(xviii)	एम.एन.आर.ई से सहायता अनुदान (सौर ऊर्जा संयंत्र)			8552055.00		7852055.00
(xviii)		8552055.00	0.00		700000.00	
	निवल चालू आस्तियाँ	92941518.49	20284365.60	113225884.09	0.00	113225884.09
		199328353.49	23388132.60	222716486.09	5304567.00	217411919.09

टीप : सूचना एवं प्रौद्योगिकिय मद के प्रारंभिक शेष रु.71384/- को आंकड़ा संसाधन यंत्र में जोड़ा गया है।

मोटर गाड़ी मद में शेष रु.56006/- को वर्ष के दौरान अपलिखित कर चालू वर्ष में दो नये वाहनों का क्रय किया गया है।

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	0.00	440940.0	440940.0	440940.0	0.00
(ii)	अनुज्ञाप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	0.00	2192211.00	2192211.00	2192211.00	0.00
(iv)	विक्रय कर/सत्कार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	22000.00	22000.00	22000.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	0.00	7980.00	7980.00	7980.00	0.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	3221.00	323244.00	326465.00	323204.00	3261.00
		3221.00	2986375.00	2989596.00	2986335.00	3261.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेष:		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	8209209.00	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	1007574.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	1007574.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	806989.00	11031346.00
	घटायें: कुल भुगतान		0.00
	योग		11031346.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	143298.00	76576.00	0.00	56983.00	162891.00
2	बयाना राशि जमा	239500.00	357500.00	0.00	391500.00	205500.00
3	विविध लेनदार	4010.00	823.00	0.00	0.00	4833.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
1	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	647594.00	318102.00	473650.00	0.00	492046.00
2	अंकक्षेप शुल्क महालेखाकार (देय)	150000.00	250000.00	0.00	0.00	400000.00
3	भवन (सुधार एवं रखरखाव) (देय)	0.00	15279.00	0.00	0.00	15279.00
4	छ.ग. गृह निर्माण मंडल (देय)	3129961.00	0.00	0.00	0.00	3129961.00
5	क्रेडा, रायपुर (देय)	4523946.00	1031549.00	0.00	0.00	5555495.00
6	सलाहकारिता शुल्क (देय)	3001316.00	1746130.00	3001316.00	0.00	1746130.00
7	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	112972.00	112918.00	0.00	112972.00	112918.00
8	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	24560.00	63260.00	24560.00	0.00	63260.00
9	अधिवक्ता शुल्क (देय)	0.00	346750.00	0.00	0.00	346750.00
10	भाड़ा (आटो रिवशा) देय	11789.00	14971.00	11789.00	0.00	14971.00
11	भाड़ा (कार) देय	218437.00	70745.00	218437.00	0.00	70745.00
12	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	13000.00	13950.00	13000.00	0.00	13950.00
13	आयकर (देय)	1272203.00	0.00	0.00	1272203.00	0.00
14	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	7200.00	42719.00	7200.00	0.00	42719.00
15	अवकाश नगदीकरण (देय)	196600.00	0.00	0.00	0.00	196600.00
16	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	13950.00	874.00	13950.00	0.00	874.00
17	चिकित्सा सहकारिता शुल्क (देय)	3120.00	3920.00	3120.00	0.00	3920.00
18	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	0.00	2850.00	0.00	0.00	2850.00
19	बैठक व्यय (रा.स.स. सदस्य) देय	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
20	विद्युत रखरखाव (देय)	22000.00	22000.00	22000.00	0.00	22000.00
21	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1725.00	1881.00	1725.00	0.00	1881.00
22	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	15959.00	0.00	15959.00	0.00	0.00
23	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई (देय)	0.00	5329.00	0.00	0.00	5329.00
24	वेतन एवं भत्ते (देय)	1494197.00	2236187.00	1494197.00	0.00	2236187.00
25	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	68561.00	93466.00	68561.00	0.00	93466.00
26	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	28200.00	4350.00	0.00	0.00	32550.00
27	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	1175.00	5400.00	1175.00	0.00	5400.00
28	दूरभाष एवं फैंक्स व्यय (देय)	30345.00	29652.00	30345.00	0.00	29652.00
29	यात्रा भत्ता (देय)	400.00	262647.00	400.00	0.00	262647.00
30	Traveling allowance (SAC) Payable	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00
31	आंकड़ा संसाधन यंत्र (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	1113.00	18575.00	1113.00	0.00	18575.00
33	प्रकाशन व्यय (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	अन्य प्रशासनिक व्यय (देय)	18879.00	17859.00	18879.00	0.00	17859.00
35	अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम प्राप्त	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00
36	अनुज्ञप्ति शुल्क (देय)	2103060.00	0.00	0.00	0.00	2103060.00
37	विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	436657.00	1034896.00		863068.00	608485.00
	योग	18939727.00	9202098.00	5421376.00	3700726.00	19019723.00

सारणी-5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	0.00	
	योग:	0.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	0.00
	शुद्ध शेष		0.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण				निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	निपटान	योग		प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2014 को	वर्ष के दौरान वृद्धि		अंतिम शेष 31 मार्च 2015 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	भूमि (छ.ग. शासन से निःशुल्क प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन	40100961.00	0.00	0.00	40100961.00	1.63%	2549524.00	653646.00	0.00	3203170.00	37551437.00	36897791.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	1829566.00	202619.00	0.00	2032185.00	6.33%	750987.00	119450.00	0.00	870437.00	1078579.00	1161748.00
4	वातानुकूलित	865672.00	185519.00	0.00	1051191.00	13.91%	650325.00	114077.00	0.00	764402.00	215347.00	286789.00
5	गणक यंत्र	180.00	0.00	0.00	180.00	13.91%	171.00	0.00	0.00	171.00	9.00	9.00
6	आंकड़ा संसाधन यंत्र	2077492.00	342490.00	0.00	2419982.00	16.21%	1410336.00	266650.00	0.00	1676986.00	667156.00	742996.00
7	विद्युत उपकरण	2583787.00	0.00	0.00	2583787.00	13.91%	1355060.00	359405.00	0.00	1714465.00	1228727.00	869322.00
8	अग्नि शमन उपकरण	116636.00	0.00	0.00	116636.00	13.91%	48057.00	16222.00	0.00	64279.00	68579.00	52357.00
9	यंत्र एवं उपकरण	345736.00	43300.00	8490.00	380546.00	13.91%	174095.00	38082.00	8065.00	204112.00	171641.00	176434.00
10	भू-सज्जा एवं उद्यान	335343.00	0.00	0.00	335343.00	1.63%	17072.00	5466.00	0.00	22538.00	318271.00	312805.00
11	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	195340.00	306321.00	195340.00	306321.00	40.00%	123956.00	48378.00	123956.00	48378.00	71384.00	257943.00
12	सौर ऊर्जा संयंत्र	14523946.00	1031549.00	0.00	15555495.00	7.00%	2102987.00	1238246.00	0.00	3341233.00	12420959.00	12214262.00
13	मोटर गाड़ी	1120112.00	1116000.00	1120112.00	1116000.00	10.50%	1064106.00	103050.00	1064106.00	103050.00	56006.00	1012950.00
14	उपहार/ दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य सम्पत्तियाँ (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	सकल योग (1) से (15)	64094771.00	3227798.00	1323942.00	65998627.00		10246676.00	2962672.00	1196127.00	12013221.00	53848095.00	53985406.00
17	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	350.00	350.00	0.00		0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पूँजी क्रियमाण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	महा योग (16+18)	64094771.00	3228148.00	1324292.00	65998627.00		10246676.00	2963022.00	1196127.00	12013221.00	53848095.00	53985406.00
21	गत वर्ष	63628872.00	532966.00	67067.00	64094771.00		7604414.00	2642262.00	6199.00	10240477.00	56024458.00	53848095.00

टीपः

* आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत मूल्य हास दर को स्वीकृत करते हुए मानक लेखांकन -VI का पालन किया गया है।

** सोलार पावर पलान्ट पर आर.ई. विनियम के आधार पर हास दर @10% कि दर से 10 वर्ष तक एवं इसके उपरान्त 1.33% की दर से अपलिखित किया जायेगा।

सारणी-ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2015

(1.4.2014 से 31.3.2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	बैंक में स्थायी जमा		
i.	प्रारंभिक शेष	110534319.00	
ii.	किया गया निवेश	95000000.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण	65034319.00	
iv.	अंतिम शेष		140500000.00
	योग	140500000.00	140500000.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेशअन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)		
(अ)	प्रारंभिक शेष		
(ब)	किया गया निवेश		
(स)	निवेश का नगदीकरण		
(द)	अंतिम शेष		
	योग	140500000.00	140500000.00
3	बैंकों के नाम लिखें		
	देना बैंक देना बैंक पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक		
i.	राशि का विवरण: 15500000.00 30000000.00 50000000.00 45000000.00		
ii.	जमा की तारीख: 14.08.12 13.09.12 06.05.14 13.11.14		
iii.	जमा की समयावधि: 3 वर्ष 3 वर्ष 4 दिन 3 वर्ष 3 वर्ष		
iv.	देय तिथि: 14.08.15 13.09.15 05.05.17 12.11.17		
v.	ब्याज दर: 9.30% 9.30% 9.00% 9.00%		
vi.	ब्याज: 2466597.00 4599416.00 4188621.00 1569105.00		
	योग	16602996.00	16602996.00
	कुल योग (1+2+3)	157102996.00	157102996.00

सारणी-ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप-योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	अनाज अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	72000.00	168000.00	189600.00	50400.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	34269.00	878720.00	729015.00	183974.00
	उप-योग	106269.00	1046720.00	918615.00	234374.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	-436657.00	0.00	-436657.00	0.00
	उप-योग	-436657.00	0.00	-436657.00	0.00
	योग	-330388.00	1046720.00	481958.00	234374.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2014

(1-4-2013 से 31-3-2014)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	65886.00	0.00	0.00	65886.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	65886.00	0.00	0.00	65886.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-ड

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु)	राशि (रु)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष (बैंक में) जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये निवेश	0.00 11031346.00 11031346.00	11031346.00
ब	घटाईये: निवेश का नगदीकरण अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	11031346.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ	आयकर (प्राप्य) स्टेट बैंक आफ इंडिया से (निक्षेप पर काटा गया)	616156.00	0.00	-616156.00	0.00
ब	सुरक्षा निधि (प्राप्य) छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या.	5534.00	0.00	5534.00	0.00
स	विद्युत व्यय (प्राप्य) छ.ग.रा.वि.वि.कं. मर्या.	0.00	0.00	0.00	0.00
द	अनुज्ञापित शुल्क (प्राप्य) भिलाई स्टील पलान्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
ई	कार्यालय के खर्चों का क्रेडा द्वारा वहन (प्राप्य)	35942.00	68307.00	35942.00	68307.00
र	चाय/काफी प्रीमिक्स (प्राप्य) अधिकारीयों/कर्मचारियों से	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	657632.00	68307.00	-574680.00	68307.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु)	राशि (रु)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये दावे	0.00	
	योग	0.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	11709.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	443.00
	योग	12152.00

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

सारणी-झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2015

(1-4-2014 से 31-3-2015)

क्रमांक	विवरण	राशि (रु.)
अ	पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर प्रवर्ती खाता 23733854.64 सी.एस.ई.आर.सी. एन.पी.एस. खाता -11031346 12702508.64 आयकर खाता 196087.00	12898595.64
ब	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर	27709.00
स	एच.डी.एफ.सी बैंक, रायपुर	10540331.39
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर	1494141.06
	योग	24960777.09

आंतरिक वित्तीय विश्लेषक

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-र

(देखिये नियम 3)

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी
(01.04.2014 से 31.03.2015)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ—वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :-

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2014 के तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा ऐतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. समस्त अनुदानों का लेखा मानक लेखांकन 12 के अनुसार किया गया है।
5. स्थायी आस्तियों का मूल्य, लागत मूल्य में दर्शाया गया है।
6. आयोग द्वारा मूल्यहास की दर कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से परिकलित किया गया है। इसके अलावा संगणक यंत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकीय, मोबाईल एवं अन्य हेतु योजना विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 1458 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा जारी वित्तीय परिपत्र क्रमांक 39/2014 के आधार पर 40% घटती किस्त पद्धति को आयोग द्वारा अपनाया गया है।
7. एन्टी वायरस साफ्टवेयर के व्यय को आयगत व्यय मानकर उसके कुल जीवनकाल को चालू वर्ष में ही पूर्ण अपलिखित किया गया है।
9. छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 23.06.10 (एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था से किराया नहीं ले सकता) के आधार पर क्रेडा को 5354.12 वर्ग फीट स्थान निःशुल्क दिया गया है।
10. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
11. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु 2400 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आबंटन किया गया है।
12. जीवन बीमा निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान हेतु रु.1940025/- का संचय किया गया है।
13. राज्य शासन द्वारा सेवा अवधि के दौरान अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गई है, अतः इसका प्रावधान आयोग के खाता में नहीं किया गया है, परंतु आकस्मिक मृत्यु अथवा सेवानिवृत्त होने पर देय अर्जित अवकाश हेतु अनुमानित राशि के रूप में तत्कालीन वेतन बैंड का रु. 4363402/- और रु. 1326923/- क्रमशः परिशिष्ट-1 पर दर्शित है। आयोग के खाते में उक्त दोनों राशियों में से अधिकतम राशि का आकस्मिक दायित्व के रूप में तुलन-पत्रक में दर्शाया गया है एवं आकस्मिक स्वभाव को आयोग के खातों में नहीं दर्शाया गया है।

14. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्त के अनुसार उनको समर्पित एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण की पात्रता किसी भी समय शेष अर्जित अवकाश का प्रावधान रु. 39760/- एवं रु. 56357/- किया गया है।
15. आयोग द्वारा नवीन कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया गया है, तथापि नवीन पेंशन योजना के तहत अंशदान का लेखा 31.03.2015 तक कुल दायित्व रु. 11031346/- को एच.डी.एफ.सी. बैंक में रखा गया है। चूँकि राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 56/2012 दिनांक 12.03.2012 को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य शासन से पत्र क्रमांक 496 दिनांक 12.03.2015 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, परन्तु राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण पी.एफ.आर.डी.ए. में दायित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सका।
16. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया है।
17. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांश भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्यु उपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु. 50000/- किया गया है। प्रति कर्मचारी रु. 25000/- आकलित किया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव